LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक-03.04.2024

थाना महरौनी पुलिस व स्वाट टीम तथा सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 25 हजार रूपये के इनामिया शातिर मूर्ति चोर को मय मूर्ति व 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी महरौनी श्री अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महरौनी पर पंजीकृत मु.अ.सं.-59/2024 धारा- 457/380/411 भादवि मे वाँछित 25 हजार रूपये के इनामिया शातिर अभियुक्त विसदेव आदिवासी पुत्र पप्पू आदिवासी उम्र करीब 23 वर्ष निवासी न्यू बस स्टेण्ड टीकमगढ थाना व जिला टीकमगढ म.प्र. हाल पता मुहल्ला कंचनपुरा कस्बा व थाना महरौनी जिला ललितपुर को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी के माल दो अदद पीतल की मूर्तियो जिनका वजन क्रमशः 8.806 कि.ग्रा. व 8.836 कि.ग्रा. मय 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ आज दिनांक 03.04.2024 को समय 03.05 बजे ललितपुर टीकमगढ बाईपास सुन्दरम् ढाबे के पास बहद कस्बा व थाना महरौनी जिला ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त विसदेव आदिवासी उपरोक्त के आज दिनांक 03.04.2024 को मु.अ.सं. 73/2024 धारा 3/ 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व उम्र -

विसदेव आदिवासी पुत्र पप्पू आदिवासी उम्र करीब 23 वर्ष निवासी न्यू बस स्टेण्ड टीकमगढ थाना व जिला टीकमगढ म.प्र. हाल पता मुहल्ला कंचनपुरा कस्बा व थाना महरौनी जिला ललितपुर

पूँछताछ का विवरण – अभियुक्त विसदेव उपरोक्त ने पूँछने पर बताया कि साहब मैं दिनांक 20.03.2024 को गुना से महरौनी अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था और रात के समय जब मैं वापस जाते समय मैं एक जैन मन्दरि की तरफ आ गया और एक लोहे की पट्टी से मैने जैन मंदिर के गेट के ताले को तोडकर अन्दर मंदिर मे घुस कर मंदिर मे रखी दोनो मूर्तियो को चुरा लिया था। उन दोनो मूर्तियो को मैने एक बोरे मे रखकर नहर के रास्ते से मडावरा में बने अपने डेरे पर पहुँच गया था। उसके बाद दूसरे दिन में मूर्तियो को लेकर बस में बैठकर अपनी पत्नी के डेरे सिलावनी जिला रायसेन म.प्र. चला आया था और वहाँ पर कुछ दूर पर पानी की टंकी के पास मैने गड्ढे मे मूर्तियो को गाढ़ दिया था। इसके बाद में भोपाल चला गया। वहाँ पर कबाडी वाले व दुकान दारो से चोरी की मूर्तियो को खरीदने के लिये सौदा करने की कोशिश की लेकिन कोई भी चोरी का माल खरीदने को तैयार नही हुआ। फिर मै वहाँ से वापस सिलवानी आया और मूर्तियो को गड्ढे से निकालकर बोरे में रखकर बैचने के उद्देश्य से टीकमगढ जा रहा था तभी पुलिस ने मुझको पकड लिया। मैं साहब पहले भी कई लूट व चोरी की घटनाए कर चुका हूं मेरे खिलाफ जनपद ललितपुर व म0प्र0 के अन्य जनपदों में मुकदमें लिखे हुए हैं। अंपनी व माल की सुरक्षा के लिये मैने अपने पास तमंचा व कारतूस रखा था। यही मेरा वयान है।

आपराधिक इतिहास

1.-मु0अ0स0 59/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना महरौनी,
2.मु.अ.सं. – 73/24 धारा 3/25 ए. एक्ट थाना महरौनी
3.-मु.अ.सं. 580/2019 धारा 4/ 25 ए. एक्ट थाना कोतवाली ललितपुर
4.- मु.अ.सं. 672/2021 धारा 395/397/412 भादवि थाना कोतवाली ललितपुर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1.दो अदद जैन मंदिर से चोरी की गयी पीतल की मूर्तियाँ (वजन क्रमशः 8.806 कि.ग्रा. व 8.836 कि.ग्रा.) (लम्बाई करीब 09-09 इंच व चौडाई नीचे से करीब 07-.07 इंच)
2.एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी का दि0 व समय-

स्थान- ललितपुर टीकमगढ बाईपास सुन्दरम ढाबे के पास बहद कस्बा व थाना महरौनी जिला ललितपुर
समय 03.05 बजे दिनांक 03.04.2024 ।

गिरफ्तार करने वाली टीम के अधि0/कर्म0गण का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक रमेशचन्द्र मिश्र थाना महरौनी ।
2.उ.नि. आलोक कुमार सिंह चौकी प्रभारी कस्बा महरौनी।
3.उ.नि. अंकित कौशिक चौकी प्रभारी खितवास थाना महरौनी ।
4.हे.का. सन्नी यादव थाना महरौनी ।
5.का. अनुभव सिंह थाना महरौनी ।
6.का. सूरज सिंह थाना महरौनी ।
7.का. दिलीप कुमार थाना महरौनी ।
8.का. आशीष कुमार थाना महरौनी ।
1.प्रभारी SOG उ.नि. राहुल राठौर,
2.मुख्य आरक्षी योगेन्द्र सिंह स्वाट टीम
3.हे.का. शीलेन्द्र सिंह, स्वाट टीम
4.का. भानूप्रताप सिंह स्वाट टीम
5.मुख्य आरक्षी चालक दीपक दुबे, स्वाट टीम
1.सर्विलाइंस टीम मुख्य आरक्षी जिनेन्द्र सिंह
2.हे.का. प्रशान्त कुमार, सर्विलाइंस
3.का. रोहित कुमार, सर्विलाइंस
4.का. आमिर सर्विलाइंस